

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भित्ताई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-01.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर 2008—भाद्र 15, शक 1930

महिला एवं बाल विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2008

अधिसूचना

क्रमांक 2061/866/विधि/89.—दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (क्रमांक 28 सन् 1961) की धारा 8-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उसके सम्मुख कालम (2) में उल्लिखित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करती है, जहां उक्त अधिनियम के अधिन वह अपनी अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा :-

अनुसूची

स. क्र.	अधिकारी	विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा
(1)	(2)	(3)
1.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला नारायणपुर.	जिला नारायणपुर में समाविष्ट क्षेत्र
2.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला बीजापुर.	जिला बीजापुर में समाविष्ट क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. जैन, सचिव

